



# दिल्ली विकास प्राधिकरण

## सूचना

श्री नरिंदर सिंह पुत्र श्री जागीर सिंह को ब्लॉक-सी पॉकेट-03, सेक्टर-34, रोहिणी, दिल्ली स्थित 32.00 वर्ग मीटर के प्लॉट नंबर 999 से संबंधित सभी मूल दस्तावेजों के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 15 दिनों के अंदर उप निदेशक (एलएबी) रोहिणी कार्यालय में उपस्थित होने का निदेश दिया जाता है। ऐसा न करने पर 30.09.2021 को निष्पादित शाश्वत पट्टा विलेख को बिना किसी पूर्व सूचना के रद्द कर दिया जाएगा।

हमें [f @ddaofficial](#) [X official\\_dda](#) [@official\\_dda\\_](#) [📞 Official\\_dda](#) पर फॉलो करें  
कृपया डीडीए की वेबसाइट [www.dda.gov.in](http://www.dda.gov.in) पर जाएं या टोल फ्री नं. 1800110332 डायल करें